

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी-उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस.

अपील संख्या 100/2022
(जीसीएमएस संख्या 2022/207)

निर्णय दिनांक: 18-11-2024

1. मिठनलाल पुत्र ईशरराम जाति अरोडा निवासी सहजीपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ़।

—अपीलांट

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, पूगल।

—रेस्पोडेन्ट

अपील विरुद्ध आज्ञा दिनांक 30-05-1998
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर




उपस्थिति:-

1. श्री सोमदत्त पुरोहित, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री मिलापचन्द, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर के आदेश दिनांक 30-05-1998 जिसके द्वारा अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र बिना सुने एकतरफा तौर पर सबूतों के अभाव में खारिज किया गया है, के विरुद्ध इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।
2. विद्वान अभिभाषक अपीलांट की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट द्वारा तहसील पूगल में बतौर विशेष आवंटन हेतु चक 01 एमजीडब्ल्यूएम के मुरब्बा नम्बर 98/3 की 25 बीघा भूमि के आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। उक्त आवेदन पत्र के तमाम सबूतों के साथ प्रस्तुत किये


राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

गये थे। परन्तु अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र शपथ आयुक्त द्वारा प्रमाणित नहीं होने के आधार पर अपीलांट के आवंटन का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया। जबकि अपीलांट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के साथ तमाम सबूत प्रस्तुत किये गये थे। अदालत मातहत द्वारा उक्त सबूतों की अनदेखी करते हुए मात्र अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज करने के उद्देश्य मात्र से आदेश जैर अपील पारित किया गया है।

इस संबंध में अपीलांट को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। यदि जारी किया भी गया है तो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस की तामील विधिवत नहीं कराई गई है। अपीलांट ने जब अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था तब न तो कोई तारीख पेशी बताई गई थी तथा ना ही सबूत प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। इस प्रकार अदालत मातहत ने मात्र यह अंकित करते हुए कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र शपथ आयुक्त द्वारा प्रमाणित नहीं होने के कारण प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। जो किसी भी तरह से विधि सम्मत नहीं है। अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर मनमाने ढंग से पारित किया गया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे। आरआरटी 2014-15 (सप) पेज 455 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे। अपने कथनों के समर्थन में अभिभाषक अपीलांट ने आरएलडब्ल्यू 2005 (2) आरजे पेज 596 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 30-05-1998 के विरुद्ध अपील दिनांक 21-06-2022 को पेश की है। जो विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मियांद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई


राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर




संतोषजनक कारण अंकिन नहीं किया है। अपीलांट का आवंटन आवंटन नियमों की शर्तें पूरी नहीं करने के अभाव में खारिज किया जा चुका है। अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. जहाँ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 30-05-1998 को पारित किया गया है। जिसके विरुद्ध अपील 21-06-2022 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है। प्रकरण में गुणावगुण पर निर्धारण से पूर्व मियाद के बिन्दु को अभिनिर्धारित किया जाना उचित पाते हैं। इस संबंध में हमारा अभिमत है कि विलम्ब के मामलों में न्यायालय का दृष्टिकोण समग्र रूप से न्याय का उद्देश्य हासिल करने का होना चाहिए। विलम्ब शमन निम्न में से एक या से एक से अधिक कारणों पर आधारित होना चाहिए। मियांद कानून लोक नीति का पूरक है। इसका उद्देश्य किसी पक्षकार के अधिकारों का हनन करना नहीं होना चाहिए। न्याय प्राप्ति हेतु अंतिम प्रयास तक कानूनी उपचार जीवित रहने चाहिए। इस संबंध में अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आरएलडब्ल्यू 2005 (2) आरजे पेज 596 में भी अभिधारित किया है कि **"Period of limitation does not run against non-petitioner being ex-parte order."** अतः उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत एवं प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट ने अदालत मातहत के समक्ष बतौर विशेष आवंटन के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का विशेष आवंटन का प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र शपथ आयुक्त द्वारा प्रमाणित नहीं होने के कारण खारिज किया गया है।




राजस्थान अपील अधिकारी
बीकानेर

इस संबंध में अदालत मातहत की पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रकरण में अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि चक 1 एमजीडब्ल्यूएम के मुरब्बा नम्बर 98/3 के आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अदालत मातहत की आदेशिका दिनांक 30-05-1998 में यह अभिलिखित किया गया था कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र शपथ आयुक्त द्वारा प्रमाणित नहीं होने के कारण आवंटन नियमों की पालना नहीं किये जाने के कारण आवेदन खारिज किया जाता है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को किसी प्रकार का कोई नोटिस प्रेषित नहीं किया गया ना ही आदेशिका में नोटिस प्रेषित करने बाबत आदेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में दिनांक 30-04-1998 को जारी नोटिस की प्रति का अवलोकन किया गया उक्त नोटिस पर आगामी पेशी 30-04-1998 अंकित की गई है एवं उक्त नोटिस प्रार्थी को इस बाबत जारी किया गया है कि वोटर सूची आगामी पेशी तक पेश की जाए अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के प्रार्थना पत्र की जांच पश्चात नोटिस जारी किया है जिसमें प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र यदि शपथ आयुक्त द्वारा प्रमाणित नहीं था तो उसकी प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने हेतु अपीलांट को निर्देशित किया जा सकता था लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा शपथ पत्र प्रमाणीकरण के अभाव में प्रार्थी का आवेदन पत्र ही खारिज कर दिया।

प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से यह स्पष्ट रूप से साबित होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य की कतई जांच नहीं की गई कि न्यायालय द्वारा जारी नोटिस की प्रार्थी पर विधिवत तामील प्राप्त हुई भी है अथवा नहीं? अदालत मातहत द्वारा केवल मात्र प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को खारिज करने के उद्देश्य मात्र से बिना तथ्यों की जांच व अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना एकतरफा आदेश पारित किया गया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र अपीलांट के प्रार्थना पत्र को खारिज करने के उद्देश्य मात्र से एक साईक्लोस्टाईल आदेश के माध्यम से अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र खारिज करने में कानूनी त्रुटि कारित की गई है। अधीनस्थ न्यायालय को चाहिए था कि वे अपीलांट को वांछित सबूत प्रस्तुत

[Handwritten signature]


राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर



करने का एक अवसर प्रदान करते। विधि का भी यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि किसी भी पक्षकार को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना कोई आदेश पारित किया जाता है तो ऐसा आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत पारित किये गये आदेश की श्रेणी में आता है। प्रस्तुत प्रकरण में भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के प्रतिपादित सिद्धान्तों की अवहेलना करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया जाना स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। जो पुष्टि योग्य आदेश की श्रेणी में नहीं आता है। आरआरटी 2014-15 (सप) पेज 455 का न्यायिक दृष्टांत में भी यह अभिधारित किया गया है कि **Application for special allotment was dismissed ex-parte without giving any notice- No opportunity of hearing given- Held, order set aside and the authority is directed to decide the application afresh.** उपरोक्त नजीर प्रस्तुत प्रकरण पर पूर्णतया चस्पा होती है।



7. अतः उक्त विवेचना व न्यायिक दृष्टांत के आलोक में अपीलांत की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है व अपीलाधीन आदेश दिनांक 30-05-1998 निरस्त किया जाकर प्रकरण उपखण्ड अधिकारी पूगल को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांत को वांछित सबूत प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुए व सबूतों जाँच करते हुए नियमानुसार अपीलांत के आवेदन पर पुनः नियमानुसार कार्यवाही की जावे।
8. निर्णय आज दिनांक 18-11-2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।


(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर